



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939

No. 678]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

सं.18/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 994 (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे देने की समय सीमा को, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने के लिए बढ़ाते हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	1 से 5 सितंबर, 2017
2	अगस्त, 2017	16 से 20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (भाग)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2017

No. 18/2017-Central Tax

G.S.R. 994(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details as specified in sub-section (1) of section 37 of the said Act for the month as specified in column (2) of the Table below, within the period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Month	Time period for filing of details of outward supplies in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July, 2017	1st to 5th September, 2017
2	August, 2017	16th to 20th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.

[F. No.349 /74 /2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

सं.19/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.995(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे देने की समय सीमा को, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने के लिए बढ़ाते हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-2 में आवक प्रदायों के ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	6 से 10 सितंबर, 2017
2	अगस्त, 2017	21 से 25 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.349/74/2017-जीएसटी (भाग)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव